

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या -106/2025

अनवान :

1 जसवीरसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
वादी

बनाम्

2 मोहित गोदारा पुत्र जसवीर सिंह जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री महेश गौड :-वादी

2 अधिवक्ता श्री भंवरलाल गौड प्रतिवादी

दिनांक 21/3/25

डिक्री



आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष
वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील भंवरलाल गौड अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत
होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण
वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 8 आर डबल्यू
डी ए के खाता सं० 19/14 में अंकित कुल 9.920 है० आराजी में से प्रतिवादी के 1/2
हिस्सा मे से 0.608 है० आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है
व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 8 आर डबल्यू डी ए के खाता सं० 19/14
मे से प्रतिवादी का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार टिब्बी को
आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा
किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।
यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी
की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर
टिब्बी